

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राउमावि/21307/2022-23/313-14

दिनांक : 23/09/2022

जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय)-माध्यमिक  
सवाई माधोपुर।

विषय : राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में  
प्रसंग : शासन का पत्रांक : प. 4(6)शिक्षा-1/ब.घो.सं. 11/2022-23/2022 जयपुर,  
दिनांक : 22.09.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की घोषणा संख्या 11 (सीएमआईएस संख्या-315.02.0) की अनुपालना में निम्नांकितानुसार 03 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	यू-डाईस कोड	विद्यालय का नाम
01.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	08100501401	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DHANOLI (464654)
02.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	08100507402	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NAYAPURA (464591)
03.	सवाई माधोपुर	मलाना डूंगर	08100209901	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BARIYARA (495144)

शर्त :-

1. विद्यालय क्रमोन्नत सत्र 2022-23 से प्रारंभ होंगे।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 09 व 10 एक साथ एवं आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा-11 एवं 12 प्रारंभ की जा सकेगी।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
4. राउप्रावि से राउमावि में क्रमोन्नत होने वाले विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राउप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राउप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III को क्रमोन्नत राउमावि के शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जायेगा।
5. क्रमोन्नत होने वाले राउप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 व लेवल-2 के ऐसे अध्यापक जिनका 6डी में सैटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका समायोजन क्रमोन्नत राउमावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
6. शेष शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 व लेवल-2 के अध्यापकों को प्रविष्टि शाला दर्पण में 3 बी में की जावेगी एवं ये अध्यापक 6 डी की कार्यवाही होने तक एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमोन्नत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भांति प्रारंभिक शिक्षा विभाग से किया जावेगा।
7. पदों को आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जावेगा। इन पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती/पदोन्नति की रिक्तियों के लिए गणना हेतु गणना की जा सकेगी।
8. उक्त विद्यालय में कला संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रूचि के आधार पर विद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारंभ किया जायें तथा उक्त प्रस्ताव विषय आवंटन हेतु इस कार्यालय को यथासमय आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

9. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जावे।
10. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में ऑपरेट किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे।
11. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।
12. उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में भवन की व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान, नाबार्ड, एम.पी. एल.ए.डी, एम.एल. ए. एल.ए.डी और जनसहयोग आदि से की जावेगी।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान सवाई माधोपुर।
12. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक/संघ/कोन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
13. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/सी/एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
14. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अनुभाग हाजा।
17. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक(माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा./माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राजमावि/21307/2022-23/310

दिनांक : 23/09/2022

जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय)-माध्यमिक  
जोधपुर।

विषय : राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चटालिया नाडा, ब्लॉक-देचू, जिला-जोधपुर की क्रमोन्नयन स्वीकृति में संशोधन के संबंध में।  
प्रसंग : शासन का पत्रांक : प. 4(6) शिक्षा-1/2022, जयपुर दिनांक : 21.09.2022 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक स्वीकृति पत्र दिनांक : 13.09.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासकीय स्वीकृति क्रमांक : प. 4(6)शिक्षा-1/ब.घो.सं. 11/2022-23/2022 जयपुर, दिनांक : 09.09.2022 के अनुसरण में इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चटालिया नाडा, ब्लॉक-देचू, जिला-जोधपुर (यू ड्राईस-08151209404) को सीधे ही उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की गई थी।

प्रासंगिक क्रमोन्नयन स्वीकृति में संशोधन करते हुए शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक : 21.09.2022 के अनुसरण में उक्त विद्यालय के स्थान पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चटालिया नाडा, रामनगर, ब्लॉक-देचू, जिला-जोधपुर (यू ड्राईस-08151202803) को सीधे ही राजमावि स्तर पर क्रमोन्नत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शेष शर्तें मूल स्वीकृति के अनुसार संधीय रहेंगी।

Rajasthan Education Department



(गौरव अग्रवाल)  
आई.ए.एस.  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षा विभाग, जयपुर।
4. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
7. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग जोधपुर।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जोधपुर।
9. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रमारी, समग्र शिक्षा अभियान, देचू।
10. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अनुभाग हाजा।
13. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक(माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर